

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक

/स्थापना/प्रशासन/2003

बिलासपुर, दिनांक

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10-4-2003 के विषय पद क्रमांक 16 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के **इतिहास** विभाग में **व्याख्याता** के अनारक्षित पद पर चयन हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए **डॉ. (श्रीमती) सीमा पाण्डेय** को वेतनमान रूपये 8000-275-13500 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परीवीक्षावधि पर नियुक्त किया जाता है।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

इस मद में होने वाला व्यय विश्वविद्यालय स्थापना मद से विकलनीय होगा।

इनकी सेवा शर्तें अध्यादेश क्रमांक 04 एवं परिनियम 31 के अंतर्गत संचालित होगी।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्र. 975 /स्थापना/प्रशासन/2003

बिलासपुर, दिनांक 07-05-2003

प्रतिलिपि :-

1. **डॉ. (श्रीमती) सीमा पाण्डेय** "पुष्पांजली" सिविल कोर्ट के पीछे, वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर (छ0ग0) को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही सिविल सर्जन या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता/ पात्रता प्रमाण पत्र, यदि सेवा में हों तो नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. कुलपति/कुलसचिव जी के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति/कुलसचिव के अवलोकनार्थ / अभिलेख हेतु।
9. निजी नस्ती।

कुलसचिव